(182)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–07/2016......403........ न०वि० एवं आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 सह–पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा मुजफ्फरपुर शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे "मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र" कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : –

उत्तर – पूर्वी भाग में बोचहाँ सी०डी० ब्लॉक के मिर्जापुर, पटियासा, युसुफपट्टी, सादुल्लाहपुर, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के झपाहा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के दादर कोल्हुवा, मिठनसराय, गोर्साइपुर, धमोली रामनाथ, मिनापुर सी०डी० ब्लॉक के चन्दपरणा, रायपुरा उर्फ शाहपुर लखन, बिसुनपुर केसो उर्फ किसुनपुरकन्त, मुरसण्ड से होते हुए पश्चिमी भाग में परषद तक।

दक्षिण – पूर्वी भाग में मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के मानसी, नवादा उर्फ बिसुनपुर भगवानपुर, नरसिंहपुर, सामापुर उर्फ नन्दग्रामपुर, चक अलाहदाद, कुढ़नी सी०डी० ब्लॉक के चैनपुर, बगंरा बाजिद, मथुरापुर, चक मेहसी, चक भिखी, बिसुनपुर गिधा, काफें दरिया छपरा, लादौर, सुमेरा उर्फ अफजलपुर माधो, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के धरमपुर, मधुबनी से होते हुए पश्चिम भाग में मादापुर चौबे तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बोचहा सी०डी० ब्लॉक के गिधा उर्फ मेचहाँ फारूकपुर, हमीदपुर, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के बहादुरपुर, पीर महम्मदपुर, नन्दु चक उर्फ युसुफपुर, मुशहरी उर्फ राधानगर, मनिका हरकिसुन, मानसी, नवादा उर्फ बिशुनपुर भगवान, नरसिंहपुर से होते हुए दक्षिण में नयागाँव तक।

पश्चिम– उत्तरी भाग में काँटी सी०डी० ब्लॉक के माधोपुर दुल्हन उर्फ धेबाहन, रतनपुरा, काँटी खुर्द, कुसी उर्फ हारपुर भगवानपुर, बसंतपुर काँटी, भेरियाहीनारायन, सिरसियान बुजुर्ग, मिर्जापुर, अजिजपुर, हिचरा पानापुर हवेली, मड़दन सी०डी० ब्लॉक के मिठनपुरा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के हारपुर गणेश, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के बठना राम, बठना डीह, कोडरिया निजामुद्दीन, से होते हुए दक्षिण भाग में पकाही खास तक।

इस आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 265.71 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 47.08 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 218.63 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र में दो शहरी प्रशासनिक इकाईयाँ (मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं काँटी नगर पंचायत) एवं कुल 216 राजस्व ग्राम जिसमें मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के 115 राजस्व ग्राम, काँटी सी०डी० ब्लॉक 43 राजस्व ग्राम, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के 23 राजस्व ग्राम, कुढ़नी सी०डी० ब्लॉक के 18 राजस्व ग्राम, बोचहा सी०डी० ब्लॉक के 10 राजस्व ग्राम एवं मीनापुर सी०डी० ब्लॉक के 7 राजस्व ग्राम शामिल हैं।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा यथा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अधीन पड़ने वाली शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची यथा अनुसूची–II एवं शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी की विवरणी यथा अनूसूची–III के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए, इस आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, इस आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

17/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–07/2016 403 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 18/5/17

प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–07/2016 403 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 18/5/17

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के सदस्य/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/ जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/ सभी संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No.–11/नoविoमाoप्लान(आoक्षेo)–07/2016 ...404... UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, with the objective of integrated and planned development of Muzaffarpur Town and important areas surrounding it, to prepare Master Plan of Muzaffarpur for a period of 20 years or more, declares as follows the planning area, which shall be called the "Muzaffarpur Planning Area". Its local boundaries are as follows -

North - In the eastern part from Mirzapur, Patiasa, Yusufpatti, Sadullahpur, of Bochahan CD Block, Jhapaha of Musahari CD Block, Dadar Kolhua, Mithansarai, Gosaipur, Dhamouli Ramnath of Kanti CD Block, Chand Parna, Raipura urf Shahpur Lakhan, Bishunpur Keso urf Kishunpurkant, Mursand of Minapur CD Block upto Parshad in the western part.

South - In the eastern part from Manshi, Nawada urf Bishunpur Bhagwanpur, Narsinghpur, Samapur urf Nandgrampur, Chak Alahdad of Musahari CD Block, Chainpur, Bangra Bazid, Mathurapur, Chak Mehsi, Chak Bhikhi, Bishunpur Gidha, Kafen Dariya Chhapra, Ladauar, Sumera urf Afzalpur Madho of Kurhani CD Block, Dharampur, Madhubani of Musahari CD Block upto Madapur Chaube in the in the western part.

East - In the northern part from Gidha urf Maisaha Farukhpur, Hamidpur of Bochaha CD Block, Bahadurpur, Pirmahammadpur, Nanhu Chak urf Yusufpur, Musahari urf Radhanagar, Manika Harkishun, Manshi, Nawada urf Bishunpur Bhagwan, Narsinghpur of Musahari CD Block upto Nayagaon in the southern part.

West- In the northern part from Madhopur Dulhan urf Dhebahan, Ratanpura, Kanti Khurd, Kushi urf Harpur Bhagwanpur, Basantpur Kanti, Bheriahi Narayan, Sirsian Buzurg Mirzapur, Azizpur, Hichra, Panapur Haveli of Kanti CD Block, Mithanpura of Kanti CD Block, Harpur Ganesh, of Kanti CD Block, Bathna Ram, Bathna Dih, Kodaria Nizamuddin, of Kanti CD Block upto Pakahi Khas in the southern part.

The total area of Muzaffarpur Planning Area is 265.71sq.km, in which 47.08sq.km is urban area and the rest 218.63sq.km is rural area. Two urban administrative units (Muzaffarpur Municipal Corporation and Kanti Nagar Panchayat), and total 216 revenue villages including 115 revenue villages of Musahari CD Block, 43 revenue villages of Kanti CD Block, 23 revenue villages of Marwan CD Block, 18 revenue villages of Kurhani CD Block, 10 revenue villages of Bochaha CD Block and 7 revenue villages of Minapur CD Block are included within this Planning Area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Urban Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, details of names and population of Urban Administrative Units and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

(177)

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area up to ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

By the order of the Governor of Bihar,

17/5/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

ज्ञापांक –11 / न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)–07 / 2016 404 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 18/5/17

Copy to -Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.
He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.

17/5/2017

Principal Secretary

ज्ञापांक –11 / न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)–07 / 2016 404 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 18/5/17

Copy to -Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner, Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Tirhut/ District Magistrate, Muzaffarpur/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation Muzaffarpur/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Circle officers of the concerned area for kind information and necessary action.

17/5/2017

Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय

मुट्टबंद

विषय– **"मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र"** की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार के सबसे बड़े शहर, तिरहुत प्रमण्डल का मुख्यालय तथा मुजफ्फरपुर जिले का प्रमुख नगर एवं मुख्यालय है। मुजफ्फरपुर शहर एवं इसके आस–पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरीकरण की क्षमता रखते हैं, को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे "मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र" कहा जा सकेगा।

2. मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिये गये **आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु विचारणीय विन्दु एवं दिशा निदेश** के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निदेश के अनुपालन में मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक–24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 265.71 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 47.08 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 218.63 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत दो शहरी प्रशासनिक इकाई मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं काँटी नगर पंचायत तथा मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के 115 राजस्व ग्राम, काँटी सी०डी० ब्लॉक 43 राजस्व ग्राम, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के 23 राजस्व ग्राम, कुड़हनी सी०डी० ब्लॉक के 18 राजस्व ग्राम, बोचहा सी०डी० ब्लॉक के 10 राजस्व ग्राम एवं मीनापुर सी०डी० ब्लॉक के 7 राजस्व ग्राम को मिलाकर कुल 216 राजस्व ग्राम शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में बोचहाँ सी०डी० ब्लॉक के मिर्जापुर, पटियासा, युसुफपट्टी, सादुल्लाहपुर, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के झपाहा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के दादर कोल्हुवा, मिठनसराय, गोर्साइपुर, धमोली रामनाथ, से होते हुए मिनापुर सी०डी० ब्लॉक के चन्दपरणा, रायपुरा उर्फ शाहपुर लखन, बिसुनपुर केसो उर्फ किसुनपुरकन्त, मुरसण्ड से होते हुए पश्चिमी भाग में परषद तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के मानसी, नवादा उर्फ बिसुनपुर भगवानपुर, नरसिंहपुर, सामापुर उर्फ नन्दग्रामपुर, चक अलाहदाद से होते हुए कुड़हनी सी०डी० ब्लॉक के चैनपुर, बगंरा बाजिद, मथुरापुर, चक मेहसी, चक भिखी, बिसुनपुर गिधा, काफें दरिया छपरा, लादौर, सुमेरा उर्फ अफजलपुर माधो, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के धरमपुर, मधुबनी से होते हुए पश्चिम भाग में मादापुर चौबे तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बोचहा सी०डी० ब्लॉक के गिधा उर्फ मेचहाँ फारूकपुर, हमीदपुर से होते हुए मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के बहादुरपुर, पीर महम्मदपुर, नन्दु चक उर्फ युसुफपुर, मुशहरी उर्फ

राधानगर, मनिका हरकिसुन, मानसी, नवादा उर्फ बिशुनपुर भगवान, नरसिंहपुर से होते हुए दक्षिण में नयागाँव तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में काँटी सी०डी० ब्लॉक के माधोपुर दुल्हन उर्फ धेबाहन, रतनपुरा, काँटी खुर्द, कुसी उर्फ हारपुर भगवानपुर, बसंतपुर काँटी, भेरियाहीनारायन, सिरसियान बुजुर्ग, मिर्जापुर, अजिजपुर, हिचरा पानापुर हवेली से होते हुए मड़वन सी०डी० ब्लॉक के मिठनपुरा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के हारपुर गणेश, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के बठना राम, बठना डीह, कोडरिया निजामुद्दीन, से होते हुए दक्षिण भाग में पकाही खास तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनुसूची–III के रूप में संलग्न है।

5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।

6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कारवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

7. प्रस्ताव है कि कंडिका–3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।

8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।

9. प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

12. उपरोक्त कंडिका–7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

8/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–07/2016..371.. न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–11/5/

प्रतिलिपि–संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

अनुसूची-I

PROPOSAL FOR MUZAFFARPUR PLANNING AREA

Legend

- Block Boundary
- Municipal Boundary
- Muzaffarpur Planning Area
- Road Network
- Railway Track
- Water Body

Brief Profile:

Muzaffarpur M.Corp: 32.316Sq.km
Kanti NP: 14.76Sq.km
Total Planning Area: 265.71Sq.km
Total Population: 888634
(as per Census 2011)
Urban Centres: 2
No. of Villages: 216
Census Towns: 5

Constituent Areas (with Thana No.s)

Scale: 1:55,000

0 0.75 1.5 3 4.5 Kms

Prepared by:
Town & Country Planning Organisation
UD&HD, Bihar

अनुसूची–II

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

Muzaffarpur Planning Area:

Sl. No.	C. D. Blocks	No. of Revenue Villages	Rural Area (sq.km)	No. of Urban Administrative Units	Urban Area (sq.km)	Total Area (sq.km)
1	Musahari	115	94.95	1	32.32	127.27
2	Kanti	43	64.54	1	14.76	79.30
3	Marwan	23	16.89	0	0	16.89
4	Kurhani	18	25.25	0	0	25.25
5	Bochahan	10	7.01	0	0	7.01
6	Minapur	7	9.99	0	0	9.99
Total for the Planning Area		216	218.63	2	47.08	265.71

अनुसूची–III

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी

Sl. No.	Block	Thana no.	Name	Area (sq.km)	Population (as per Census 2011)
1	Musahari	273	Chak Alahdad	0.75	1512
2	Musahari	274	Saghari	1.09	1241
3	Musahari	275 I	Dighra Patti	0.97	1810
4	Musahari	275 II	Dighra Patti	0.51	
5	Musahari	276	Dighra Rampur Shah	3.33	3124
6	Musahari	277 I	Rohua Birnarayan	0.27	824
7	Musahari	277 II	Rohua Birnarayan	0.23	
8	Musahari	277 III	Rohua Birnarayan	0.19	
9	Musahari	278	Raghunathpur Jagdish	1.10	1247
10	Musahari	279 I	Rohua Apuchh	0.18	5738
11	Musahari	279 II	Rohua Apuchh	0.44	
12	Musahari	279 III	Rohua Apuchh	2.54	
13	Musahari	280	Dhanhara Chhapra	0.42	1942
14	Musahari	282	Sherpur urf Narayanpur Anant	1.11	3505
15	Musahari	283	Sherpur	0.10	2745
16	Musahari	284	Majhauli Dharamdas	0.31	2767
17	Musahari	285	Ratwara	0.18	2129
18	Musahari	286	Susta	0.49	4260
19	Musahari	288 I	Hasan Chak	1.00	2950
20	Musahari	288 II	Hasan Chak	0.29	
21	Musahari	289	Dighrapatti	0.45	405
22	Musahari	327	Dharampur	0.74	2164
23	Musahari	330	Pakri Ismail	0.45	1600
24	Musahari	331	Parmanandpur	0.60	1232
25	Musahari	334	Khabra urf Kiratpur Gurdas	2.89	9569
26	Musahari	335	Barmatpur urf Bishunpur Kharak	0.74	1237
27	Musahari	339	Chak Ahmad	0.63	1538
28	Musahari	340	Bhikanpur Dih	0.40	1175
29	Musahari	341	Bhikanpur Adam	0.24	228
30	Musahari	343	Ganipur	0.07	272
31	Musahari	344 IV	Mahammadpur Kazi	0.13	2119
32	Musahari	353	Bhagwanpur	1.52	17690
33	Musahari	354	Gobrahi urf Gobardhanpur	0.25	4437
34	Musahari	355	Patahi urf Patahi Rup	5.73	10760
35	Musahari	356	Chau Siwan	0.66	1114
36	Musahari	357	Madhubani	1.59	3527
37	Musahari	358	Madapur Chaube	1.10	1631
38	Musahari	361	Mathurapur	0.10	1429
39	Musahari	402	Barhanpura	0.49	2859
40	Musahari	411	Kanahauli Bishundat	1.82	4044
41	Musahari	413 I	Kothia Dakhili	1.04	1942

42	Musahari	413 II	Kothia Dakhili	0.52	
43	Musahari	414 I	Rohua Rajaram	1.49	2762
44	Musahari	414 II	Rohua Rajaram	0.18	
45	Musahari	415	Bhataulia urf Shahjahanpur	1.11	673
46	Musahari	416	Tarwara Gopalpur	0.81	3129
47	Musahari	417	Pahladpur	3.97	8984
48	Musahari	418 I	Narsinghpur	1.58	1438
49	Musahari	418 II	Narsinghpur	0.04	
50	Musahari	419 I	Nawada urf BishunpurBhagwan	0.99	
51	Musahari	419 II	Nawada urf BishunpurBhagwan	0.08	2022
52	Musahari	419 III	Nawada urf BishunpurBhagwan	0.05	
53	Musahari	419 IV	Nawada urf BishunpurBhagwan	0.17	
54	Musahari	420	Samapur urf Nandgrampur	0.13	656
55	Musahari	423	Nayagaon	0.94	3091
56	Musahari	424 I	Manika Harkishun	2.33	3440
57	Musahari	424 II	Manika Harkishun	0.24	
58	Musahari	425 I	Manshi	0.22	
59	Musahari	425 II	Manshi	0.13	
60	Musahari	425 III	Manshi	0.15	1266
61	Musahari	425 IV	Manshi	0.07	
62	Musahari	425 V	Manshi	0.09	
63	Musahari	426 I	Manika Ghazi	0.31	658
64	Musahari	426 II	Manika Ghazi	0.15	
65	Musahari	475	Mushari urf Radhanagar	4.14	8431
66	Musahari	477	Bhagwatipur	0.53	2269
67	Musahari	478 II	Sikandarpur	0.03	0
68	Musahari	594	Jhapaha	4.27	12136
69	Musahari	656	Bakhrichandan	0.56	917
70	Musahari	657	Fatehpur	0.44	1099
71	Musahari	658	Shahbazpur urf Salempur	0.52	133
72	Musahari	659	Mithanpura	0.46	960
73	Musahari	660	Bhikhanpura	3.50	5526
74	Musahari	661	Rasulpur Saidpur Bazid	0.84	2038
75	Musahari	662	Rasulpur Saiyad Salem	0.41	2666
76	Musahari	663	Nazirpur	0.80	6088
77	Musahari	669	Shahbazpur Salem	1.20	7363
78	Musahari	664	Chak Ghazi	0.45	986
79	Musahari	665	Muradpur Dullah	0.54	2996
80	Musahari	667	Rakbe Yehiapur urf Ganeshpur	0.10	1452
81	Musahari	670	Chak Mohabbat	0.45	3028
82	Musahari	671	Bhagwatipur	0.52	723
83	Musahari	672	Shahpur	0.39	206
84	Musahari	673 I	Sadullahpur	0.54	1180
85	Musahari	673 II	Sadullahpur	0.06	
86	Musahari	674 I	Damodarpur	0.45	724
87	Musahari	674 II	Damodarpur	0.39	
88	Musahari	675	Bara Jagarnath	0.43	2636
89	Musahari	676	Raghopur	0.47	1764
90	Musahari	677	Saraiya Sadullahpur	0.15	194

91	Musahari	678	SaraiyaChakMustafa urfSipapur	0.37	2514
92	Musahari	679	Harpur Bakhri	0.50	1075
93	Musahari	680	Hasan Chak	0.29	592
94	Musahari	681	Baijnathpur	0.91	2016
95	Musahari	682	Tarwan	0.87	1584
96	Musahari	683 I	Punas Chaturi	0.74	1591
97	Musahari	683 II	Punas Chaturi	0.50	
98	Musahari	683 III	Punas Chaturi	0.22	
99	Musahari	683 IV	Punas Chaturi	0.30	
100	Musahari	684	Abdulnagar urf Madhopur	1.22	2250
101	Musahari	685	Harpur	0.56	1017
102	Musahari	686	Mirdahi	0.15	24
103	Musahari	687 I	Punas Raja	0.38	1334
104	Musahari	687 II	Punas Raja	0.45	
105	Musahari	687 III	Punas Raja	0.25	
106	Musahari	688	Akbarpur	0.71	1900
107	Musahari	689	Mirdahi	0.09	60
108	Musahari	690	Bahadurpur	0.59	298
109	Musahari	691	Pirmahammadpur	1.18	1155
110	Musahari	692	Nanhu Chak urf Yusufpur	2.47	506
111	Musahari	-	Chandwara	0.21	289
112	Musahari	332	Dumari urf Damodarpur Shahjahan (CT)	2.86	6301
113	Musahari	666	Yehiapur (CT)	0.64	4919
114	Musahari	668	Shekhpura (CT)	2.32	10204
115	Musahari	333	Majhauli Khetal (CT)	0.65	6820
			Rural Villages (115 No.s)	**94.95**	**246899**
			Muzaffarpur Municipal Corporation	**32.32**	**354462**
			Total for the Block	**127.27**	**601361**
116	Kanti	365	Madhopur Machhia	0.51	1617
117	Kanti	366	Harpur Ganesh	0.67	1521
118	Kanti	379	Arizpur	0.58	554
119	Kanti	380 I	Hichra	0.23	896
120	Kanti	380 II	Hichra	0.31	
121	Kanti	381 I	Panapur Haveli	1.83	4252
122	Kanti	381 II	Panapur Haveli	0.45	
123	Kanti	388	Sonbarsa	1.21	1518
124	Kanti	390	Shahpur	1.20	3132
125	Kanti	391	Madhuban Jagdish	0.68	905
126	Kanti	392	Sadalpur	2.46	6929
127	Kanti	393	Barmatpur	0.72	1968
128	Kanti	394	Panapur Khurd	0.57	555
129	Kanti	395	Bairia	0.62	4654
130	Kanti	396 II	Damodarpur	0.02	13884
131	Kanti	397	Chak Murmur	0.93	2761
132	Kanti	481 I	Dadar Kolhua	2.08	8856
133	Kanti	481 I	Dadar Kolhua	1.27	
134	Kanti	481 II	Dadar Kolhua	0.22	

135	Kanti	482	Paighambarpur Kolhua	6.84	18649
136	Kanti	484	Mithan Sarai	5.16	5478
137	Kanti	486	Lashkaripur	1.97	2588
138	Kanti	488	Shahbazpur	1.58	2689
139	Kanti	487	Chhapra Dharampur Jadu	1.61	3341
140	Kanti	489	Mirzapur	0.46	1686
141	Kanti	490	Sirsian	0.22	635
142	Kanti	491	Sirsian Buzurg	0.94	1513
143	Kanti	493	Bariarpur	0.67	1694
144	Kanti	494	Narsanda	1.17	1046
145	Kanti	495	Narsanda	1.03	2078
146	Kanti	496	Dhamauli Ramnath	12.75	18750
147	Kanti	509	Gosainpur	1.62	754
148	Kanti	67	Pakari	1.31	3309
149	Kanti	68	Fatehpur	0.85	0
150	Kanti	69	Bheriahi Narayan	1.18	832
151	Kanti	70	Basantpur Kanti	0.75	622
152	Kanti	73	Bhagwanpur	0.64	528
153	Kanti	74	Sirna urf Bheriahi	0.39	1280
154	Kanti	76 I	Kusi urf Harpur	0.85	1948
155	Kanti	-	Ratanpura	1.27	828
156	Kanti	-	Madhopur Dulham urf Dhebahan	2.80	3240
157	Kanti	-	Kanti Khurd	0.15	489
158	Kanti	396 I	Damodarpur (CT)	1.74	13884
Rural Villages (43 No.s)				**64.54**	**141863**
Kanti Nagar Panchayat				**14.76**	**25051**
Total for the Block				**79.30**	**166914**
159	Marwan	320	Bathna Ram	1.02	960
160	Marwan	321 I	Bathna Dih	0.32	760
161	Marwan	321 II	Bathna Dih	0.14	
162	Marwan	323 I	Kodaria Nizamuddin	0.28	343
163	Marwan	323 II	Kodaria Nizamuddin	0.09	
164	Marwan	323 III	Kodaria Nizamuddin	0.04	
165	Marwan	324	Madhuban	0.77	1308
166	Marwan	325	Pakahi Khas	3.16	7535
167	Marwan	360	Bahora urf Mahammadpur Chak	0.44	639
168	Marwan	362	Subhankarpur	0.85	3015
169	Marwan	363	Rasulpur Adhar	0.58	989
170	Marwan	364	Nawada urf Bishunpur Mahadeo	1.08	226
171	Marwan	367	Mithanpura	0.70	1443
172	Marwan	382	Rampur Shal	0.85	488
173	Marwan	384	Raipura	1.42	1675
174	Marwan	385	Rupauli	0.43	1960
175	Marwan	386	Rupwara	0.75	1960
176	Marwan	387	Bishundatpur	0.81	2486
177	Marwan	389	Chiknauta urf Harpur Lahauri	1.02	1507
178	Marwan	398	Pakri Jalal	0.34	853
179	Marwan	399	Mian Pakri	0.60	751

180	Marwan	400	Chainpur	0.66	3059
181	Marwan	401	Madpur Salem urf Fatehpur	0.54	2358
Total Rural Villages for the Block (23 No.s)				**16.89**	**34315**
182	Kurhani	329	Sumera urf Afzalpur Madho	2.04	7348
183	Kurhani	336	Madapur Rayati	1.05	1407
184	Kurhani	337	Khakhra	0.89	628
185	Kurhani	338	Madhaul	2.99	3016
186	Kurhani	359	Bazidpur Kodaria	0.78	1986
187	Kurhani	287	Madhopur Susta	2.13	4805
188	Kurhani	290	Bhikhanpur Saif	0.27	1679
189	Kurhani	291	Bangra Bazid	0.95	1916
190	Kurhani	292	Mathurapur	0.87	1509
191	Kurhani	293	Chak Mehsi	0.86	2252
192	Kurhani	294	Daha Chak	0.41	296
193	Kurhani	295	Mahammadpur Mobarak	0.86	4062
194	Kurhani	296	Chak Bhikhi	0.83	3030
195	Kurhani	297	Siwanpatti	0.43	1023
196	Kurhani	298	Bishunpur Gidha	1.69	3969
197	Kurhani	299	Kafain Daria Chhapra	2.94	5033
198	Kurhani	304	Ladauar	4.08	8380
199	Kurhani	272	Chainpur	1.17	4504
Total Rural Villages for the Block (18 No.s)				**25.25**	**56843**
200	Bochaha	651	Sadullahpur	0.25	298
201	Bochaha	652	Adam Chhapra	0.17	471
202	Bochaha	653	Chak Habibullah urf Chak Bullah	0.13	994
203	Bochaha	654	Chak Mundi	0.09	114
204	Bochaha	655	Mohiuddinpur	0.27	711
205	Bochaha	648	Patiasa	3.07	8095
206	Bochaha	649	Yusufpatti	0.25	866
207	Bochaha	-	Mirzapur	1.04	1877
208	Bochaha	-	Gidha urf Maisaha Farrukhpur	0.95	2850
209	Bochaha	-	Hamidpur	0.79	2286
Total Rural Villages for the Block (10 No.s)				**7.01**	**18562**
210	Minapur	47	BishunpurKeso uf Kishunpurkant	1.07	859
211	Minapur	48	Mursand	1.03	542
212	Minapur	49	Mursandi Ratan	0.57	582
213	Minapur	497	Chand Parna	2.48	3960
214	Minapur	50	Parshad	2.03	1166
215	Minapur	64	Raipura urf Shahpur Lakhan	1.66	1805
216	Minapur	65	Bahadurpur urf Bishunpur Gopal	1.14	1725
Total Rural Villages for the Block (7 No.s)				**9.99**	**10639**
Muzaffarpur Planning Area (216 Villages, 2 ULBs, 5 Census Towns)				**265.71**	**888634**

कार्यसूची–5/3

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी –

(1) मुजफ्फरपुर, जिला का प्रशासनिक मुख्यालय के साथ–साथ तिरहुत प्रण्डल का भी प्रशासनिक मुख्यालय शहर है।

(2) मुजफ्फरपुर शहर एवं इसके आस–पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनार्थ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार किये गये मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के प्रारूप पर सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र के प्रारूप पर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के विचारण हेतु मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम के पत्रांक–2250, दिनांक–16.07.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के उक्त प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।

(3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 265.71 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 47.08 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 218.63 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र में दो शहरी प्रशासनिक इकाईयाँ (मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं काँटी नगर पंचायत) एवं 216 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के 115 राजस्व ग्राम, काँटी सी०डी० ब्लॉक 43 राजस्व ग्राम, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के 23 राजस्व ग्राम, कुढ़नी सी०डी० ब्लॉक के 18 राजस्व ग्राम, बोचहा सी०डी० ब्लॉक के 10 राजस्व ग्राम एवं मीनापुर सी०डी० ब्लॉक के 7 राजस्व ग्राम हैं। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में बोचहाँ सी०डी० ब्लॉक के मिर्जापुर, पटियासा, युसुफपट्टी, सादुल्लाहपुर, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के झपाहा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के दादर कोल्हुवा, मिठनसराय, गोर्साइपुर, धमोली रामनाथ, से होते हुए मिनापुर सी०डी० ब्लॉक के चन्दपरणा, रायपुरा उर्फ शाहपुर लखन, बिसुनपुर केसो उर्फ किसुनपुरकन्त, मुरसण्ड से होते हुए पश्चिमी भाग में परषद तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के मानसी, नवादा उर्फ बिसुनपुर भगवानपुर, नरसिंहपुर, सामापुर उर्फ नन्दग्रामपुर, चक अलाहदाद से होते हुए कुढ़नी सी०डी० ब्लॉक के चैनपुर, बगंरा बाजिद, मथुरापुर, चक मेहसी, चक भिखी, बिसुनपुर गिधा, काफें दरिया छपरा, लादौर, सुमेरा उर्फ अफजलपुर माधो, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के धरमपुर, मधुबनी से होते हुए पश्चिम भाग में मादापुर चौबे तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बोचहा सी०डी० ब्लॉक के गिधा उर्फ मेचहाँ फारूकपुर, हमीदपुर से होते हुए मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के बहादुरपुर, पीर महम्मदपुर, नन्दु चक उर्फ युसुफपुर, मुशहरी उर्फ राधानगर, मनिका हरकिसुन, मानसी, नवादा उर्फ बिशुनपुर भगवान, नरसिंहपुर से होते हुए दक्षिण में नयागाँव तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में काँटी सी०डी० ब्लॉक के माधोपुर दुल्हन उर्फ धेबाहन, रतनपुरा, काँटी खुर्द, कुसी उर्फ हारपुर भगवानपुर, बसंतपुर काँटी, भेरियाहीनारायन, सिरसियान बुजुर्ग, मिर्जापुर, अजिजपुर, हिचरा पानापुर हवेली से होते हुए मड़वन सी०डी० ब्लॉक के मिठनपुरा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के हारपुर गणेश, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के बठना राम, बठना डीह, कोडरिया निजामुद्दीन, से होते हुए दक्षिण भाग में पकाही खास तक।

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	216	218.63	2	47.08	265.71

(4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, एव आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची–III, के रूप में संलग्न है।

(5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक ईकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेर–बदल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

(६) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम–11 के तहत् इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।

(7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के तहत् बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।

(8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

कार्यसूची–5/3

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी –

(1) मुजफ्फरपुर, जिला का प्रशासनिक मुख्यालय के साथ–साथ तिरहुत प्रण्डल का भी प्रशासनिक मुख्यालय शहर है।

(2) मुजफ्फरपुर शहर एवं इसके आस–पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनार्थ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार किये गये मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के प्रारूप पर सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र के प्रारूप पर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के विचारण हेतु मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम के पत्रांक–2250, दिनांक–16.07.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के उक्त प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।

(3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 265.71 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 47.08 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 218.63 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र में दो शहरी प्रशासनिक इकाईयाँ (मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं काँटी नगर पंचायत) एवं 216 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के 115 राजस्व ग्राम, काँटी सी०डी० ब्लॉक 43 राजस्व ग्राम, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के 23 राजस्व ग्राम, कुड़हनी सी०डी० ब्लॉक के 18 राजस्व ग्राम, बोचहा सी०डी० ब्लॉक के 10 राजस्व ग्राम एवं मीनापुर सी०डी० ब्लॉक के 7 राजस्व ग्राम हैं। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में बोचहाँ सी०डी० ब्लॉक के मिर्जापुर, पटियासा, युसुफपट्टी, सादुल्लाहपुर, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के झपाहा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के दादर कोल्हुवा, मिठनसराय, गोर्साइपुर, धमोली रामनाथ, से होते हुए मिनापुर सी०डी० ब्लॉक के चन्दपरणा, रायपुरा उर्फ शाहपुर लखन, बिसुनपुर केसो उर्फ किसुनपुरकन्त, मुरसण्ड से होते हुए पश्चिमी भाग में परषद तक।

दक्षिण – पूर्वी भाग में मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के मानसी, नवादा उर्फ बिसुनपुर भगवानपुर, नरसिंहपुर, सामापुर उर्फ नन्दग्रामपुर, चक अलाहदाद से होते हुए कुड़हनी सी०डी० ब्लॉक के चैनपुर, बगंरा बाजिद, मथुरापुर, चक मेहसी, चक भिखी, बिसुनपुर गिधा, काफें दरिया छपरा, लादौर, सुमेरा उर्फ अफजलपुर माधो, मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के धरमपुर, मधुबनी से होते हुए पश्चिम भाग में मादापुर चौबे तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बोचहा सी०डी० ब्लॉक के गिधा उर्फ मेचहाँ फारूकपुर, हमीदपुर से होते हुए मुशहरी सी०डी० ब्लॉक के बहादुरपुर, पीर महम्मदपुर, नन्दु चक उर्फ युसुफपुर, मुशहरी उर्फ राधानगर, मनिका हरकिसुन, मानसी, नवादा उर्फ बिशुनपुर भगवान, नरसिंहपुर से होते हुए दक्षिण में नयागाँव तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में काँटी सी०डी० ब्लॉक के माधोपुर दुल्हन उर्फ धेबाहन, रतनपुरा, काँटी खुर्द, कुसी उर्फ हारपुर भगवानपुर, बसंतपुर काँटी, भेरियाहीनारायन, सिरसियान बुजुर्ग, मिर्जापुर, अजिजपुर, हिचरा पानापुर हवेली से होते हुए मड़वन सी०डी० ब्लॉक के मिठनपुरा, काँटी सी०डी० ब्लॉक के हारपुर गणेश, मड़वन सी०डी० ब्लॉक के बठना राम, बठना डीह, कोडरिया निजामुद्दीन, से होते हुए दक्षिण भाग में पकाही खास तक।

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	216	218.63	2	47.08	265.71

(4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, एव आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची–III, के रूप में संलग्न है।

(5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक ईकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेर–बदल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

(6) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम–11 के तहत् इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।

(7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के तहत् बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।

(8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पँचम् बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।

(3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।

(4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर विचार विमर्श किया गया।

(5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा–निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम–जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुज्जफरपुर आयोजना क्षेत्र के density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेत्तर कारवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8). इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थितं प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। गया आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण वताया गया।

(9). (i) **गया आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलागंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
	कुल	**162**	**258.14**	**1**	**50.17**	**308.31**

(ii) **आरा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
	कुल	**68**	**138.43**	**2**	**36.19**	**174.62**

(iii) **मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुढ़नी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	**216**	**218.63**	**2**	**47.08**	**265.71**

(iv) **बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(v) **सहरसा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89
02	सत्तर कटैया	21	50.02	0	0	50.02
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77
04	सौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51
	कुल	79	258.3	1	35.89	294.19

(10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(11). सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
(शिशिर सिंहा)
विकास आयुक्त, बिहार
सह–अध्यक्ष
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

ह०/–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
सह–सदस्य सचिव
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014 91 न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक 9/2/1

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव–कृषि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–योजना एवं विकास विभाग / सचिव / सचिव–स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–उद्योग विभाग / प्रधान प्रधान सचिव / सचिव–पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / सचिव/ सचिव–शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यावरण और वन प्रधान सचिव / सचिव–जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–भवन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–लोक निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–विधि स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव–युवा कला एवं विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव / प्रधान सचिव / संस्कृति विभाग / प्रधान सचिव/ सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी / मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा / मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014.....91/–.........न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/17

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(16)

दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के पंचम बैठक की कार्यावली –

क्र० सं०	कार्य सूची
5/1	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/2	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/3	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/4	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/5	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/6	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014......44......न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक–23/1/17

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव–कृषि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पंचायती राज/प्रधान सचिव/सचिव–उद्योग विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–वित्त विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यावरण और वन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–परिवहन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग/सचिव–विधि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यटन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग/सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ/महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी/मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा/जिलाधिकारी, गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/सहरसा द्वारा नामित पदाधिकारी को बोर्ड के बैठक में विचारण हेतु कार्यावली की प्रति अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासभाजन,

23/1/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव–नगर विकास एवं आवास विभाग
–सह–सदस्य सचिव,
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड,
बिहार, पटना।

(123) (130)

आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु विचारणीय विन्दु एवं दिशा निदेश

1) राज्य के शहरों के योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर निकाय एवं इससे सटे वृहत्तर क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से इन शहरों के आयोजना क्षेत्र की घोषणा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अन्तर्गत किया जाना है।

2) वर्णित नियमावली के नियम–9 के आलोक में –

(i) आयोजना क्षेत्र की सीमाओं को परिमितितः परिभाषित किया जाना है,

(ii) आयोजना क्षेत्र को 1:8000 के पैमाना पर जी०आई०एस० निर्देशांक (कोऑरडिनेट्स) के साथ मानचित्र पर स्पष्टतः दर्शाया जाना है,

(iii) जहाँ तक संभव हो आयोजना क्षेत्र में सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या (सर्वे संख्या) सम्मिलित किया जाना है। आयोजना क्षेत्र की चौहदी से विभाजित होने की स्थिति में भू–खण्ड को स्पष्ट ढंग से दर्शाया जायगा,

(iv) आयोजना क्षेत्र को गाँव की चौहद्दी, पंचायत की चौहद्दी, प्रखण्ड की चौहद्दी, अनुमण्डल की चौहद्दी और जिला का चौहद्दी द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ ये प्रशासनिक इकाइयाँ आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी द्वारा विभाजित हो वहाँ उसे सुस्पष्ट ढंग से दर्शाया जाना है,

(v) आयोजना क्षेत्र की परिभाषा के उपर्युक्त पद्धतियों में कोई विवाद होने की दशा में राजस्व भू–कर मानचित्र (कैडस्ट्रल मैप) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अभिभावी होंगे।

3) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के अध्याय–III में आयोजना क्षेत्रों की घोषणा और आयोजना प्राधिकारों का गठन, अध्याय–IV में भूमि उपयोग मानचित्र एवं भूमि उपयोग रजिस्टर की तैयारी एवं अध्याय–V में विकास योजनाओं की तैयारी, विषयवस्तु और अनुमोदन से सम्बन्धित प्रावधान किये गए हैं।

आयोजना क्षेत्र का सीमांकन उक्त अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित विकास योजना की विषयवस्तु के आलोक में जनगणना–2011 के आकड़ों पर आधारित कम से कम आगामी 20 वर्षों की प्रेक्षित आबादी एवं वांछित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

12/02/16

4) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त इन शहरों के Urban Agglomerates, Growth in Peri Urban Areas, निकटवर्ती Census Towns, वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरीकरण की क्षमता रखते हों, ऐतिहासिक पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

5) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन पर विचार करने के क्रम में इन क्षेत्रों के Regional Connectivity (Location, Brief Histry of Town and its connectivity to Roads, Railways, Airways and Waterways), Geographical Features and Natural Settings (which may include physiography, climate, river and water, soils and vegetation, vulnerabilities etc.), Administrative Boundary (which may be at the level of Divisional, District, Sub Divisional, Block, Municipal Area, Revenue Village.), Demographics and Socio-Economic Profile (which may include present and future distribution of Population.), Direction of Growth and Growth Rate (including population density, Urban expansion and Development in peripheral areas.), Ecological and Environmental Balance (which may include environmentally sensitive zones or areas), Industrial and Commercial Activities and Growth trends, Existing Land Cover (in proposed Planning Area), Infrastructure profile (projects of Infrasturcture development, Township development) आदि पर ध्यान देते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।

6) आयोजना क्षेत्र का सीमांकन, सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों–नगर निकाय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अभियंत्रण कार्यालयों, भू–राजस्व, निबंधन, उद्योग, सांख्यिकी, पंचायतीराज एवं अन्य हितधारकों आदि से विमर्श कर किया जा सकता है।

जिन शहरों का City Development Plan (CDP) पूर्व में नगर विकास एवं आवास विभाग के Support Programe for Urban Reform (SPUR) के अन्तर्गत तैयार किया गया था, उसे संदर्भित किया जा सकता है।

7) अन्य आयोजना क्षेत्रों के प्रस्ताव पर विचारण के क्रम में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, यह सुनिश्चित करेगें कि –

i) आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में किया जाय,

(21) (69)

ii) प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र में सन्निहित सभी प्रशासनिक ईकाइयों यथा शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को लिखित रूप से सूचना दी जाय,

iii) दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाय,

iv) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों को विधिवत अभिलेखित किया जाय,

v) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन कर स्पष्ट रूप से अनुशंसा बोर्ड के विचारण के लिए भेजा जाय।

8) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति के उपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। आयोजना क्षेत्र की घोषणा के उपरान्त इन क्षेत्रों के Geographical Information System (GIS) आधारित विकास योजना (मास्टर प्लान) की तैयारी बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत Urban and Regional Development Plans Formulaion and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014 के आलोक में तैयार किया जायगा। उक्त अधिनियम, नियमावली एवं URDPFI Guidelines की प्रति विभागीय वेबसाईट www.urban.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

9) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के साथ, अथवा इसके उपरान्त उपान्त क्षेत्र की घोषणा, सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजना प्राधिकार का गठन, इन क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों को आवश्यकतानुसार लागू करने तथा सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य अपेक्षित नियमानुकूल कारवाई की जा सकेगी।

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(3) The Board may nominate or co-opt any person/persons whom it may think necessary for the functioning of the Board.

(4) The Board as a body corporate having perpetual succession and a common seal may sue in its corporate name.

(5) The State Government may, if it thinks fit, appoint one of the members as the Vice-Chairman of the Planning Authority.

4. **Functions and Powers of the Board. (Section 4 of the Act)** -(1) Subject to the provisions of the Act and Rules, the functions of the Board shall be to advise the Government in matters relating to planning and development and use of rural and urban land in the State, to guide, direct and assist the Metropolitan Planning Committee or any other Planning Authority/(ies) constituted under the Act and to perform such other functions as the Government may, from time to time assign to the Board.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Board may and, if required by Government, shall :

(a) advise on the delineation of the Planning Area(s) for purposes of planned development and direct the preparation of Development Plan by the Planning Authorities;

(b) direct the preparation of one or more Development Plan(s) by the Planning Authorities or Metropolitan Planning Committees undertake, assist and advise on the coordination of planning and implementation of physical development programmes;

(c) undertake assist and encourage the collection, maintenance, and publication of statistics, bulletins, and monographs and other such activities like seminars, training of personals, association with professional and research organization etc. on regional and urban planning;

(d) direct the preparations of one or more regional development plan, regional transportation plans, town development plans.

(e) direct the preparations of one or more regional natural resources and environmental conservation Plans.

(f) perform any other functions which is incidental, supplemental or consequential to any of the functions aforesaid or as decided by the Government.

(3) The Board may exercise all such powers as may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions under the Act.

5. **Appointment of Committee by the Board. (Section 5 of the Act)** -(1)For assisting the Board in exercising its powers, discharging its duties or performing its functions, the Board may constitute one or more committees.

(2) Any such committee or committees constituted under Sub-Section (1) shall consist of such members as may be specified by the Board and the Board may nominate one of the members as the Chairman of the committee.

(3) The Board shall have the power to co-opt as a member of any Committee constituted under sub-section (1),any person having experience in matters of planning and development but, who is not a member of the Board.

6. **Terms of office and Conditions of Service of Members of the Board. (Section 6 of the Act)** -(1) The term of office and conditions of service of the members and employees of the Board shall be such as may be decided by the State Government, and they shall be entitled to receive such salaries or allowances or both as may be fixed by the Government.

(2) The control and restriction in relation to the appointment of officers and other employees to the Board shall be as per the State Civil Service Rules.

(3) The Government, may if it thinks fit, terminate the appointment of any member of the Board at any time in case of misconduct by such member.

(4) A member of the Board appointed according to Section 3(1)-(xxiv, xxv) may resign his membership of the Board by giving notice in writing to the Government and on such resignation, being accepted by the Government, he shall cease to be a member of the Board.

(5) Any vacancy so created can be filled up by the Government.

7. **Meetings of the Board. (Section 7 of the Act)** -(1) The Board shall meet at such times and place as the chairman thinks fit, not less than twice in a calendar year and shall make regulations for regulating the procedure and conduct for the transaction of its business at such meetings.

(2) The Chairperson or in absence of the Chairperson, any member chosen by the members from amongst themselves, shall preside over the meeting of the Board.

(3) All questions at the meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

8. **Secretariat of the Board. (Section 8 of the Act)** - (1)The office of the Town and Country Planning Organization located in the Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall act as the Secretariat of the Board.

(2) The Government shall provide all requisite office space, personnel and financial assistance to the Board and its Secretariat.

CHAPTER-III

DECLARATION OF PLANNING AREAS AND CONSTITUTION OF PLANNING AUTHORITIES

9. **Declaration of Planning Areas. (Section 9 of the Act)** -(1)The Government may, for the purpose of securing planned development of regions or areas within the State, on advice of the Board, declare by notification, any such region or area or regions or areas, including a Metropolitan Area or area for development of new towns in the State to be a Planning Area, by whatsoever name known for the purposes of this Act.

(2) The declaration of the planning area shall be widely published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.

(3) Every such notification shall precisely define the limits of such Planning Area.The planning area can be defined in one or a combination of the following manner :

a) Planning Area shall be distinctly shown on map with GIS coordinates on the Scale 1:8000.

b) Planning Area shall as far as possible include full Plot Numbers (Survey No.). In a Situation where a plot is divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.

c) The planning area can also be defined by village boundaries, Panchayat boundaries, block boundaries, sub-division boundaries and district boundaries. In a situation where these administrative units are divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.

In case of a dispute between the above modes of definition of a planning area, the details specified in the revenue cadastral map shall prevail.

(4) The Government may declare, with reference to a Planning Area, its surrounding area, defined clearly and unambiguously, as its Peripheral Area. The Peripheral Area as delineated by the Government shall be distinctly shown on a map in one of the methods defined in rule 9 (3).

Provided that extension to such area shall not exceed one km from any point at its boundary.

(5) The Government may, after consultation with the Board and the concerned Planning Authorities, amalgamate two or more Planning Areas into one Planning Area, sub-divide Planning Area(s) into different Planning Areas and include such sub-divided areas in any other Planning Area.

(6) The Government may, by notification, direct that all or any of the Rules, Regulations, orders, directions and powers made, issued, conferred and in force in any other Planning Area at the time, with such exceptions, adaptations and modifications, as may be considered necessary by the Government, shall apply to the area declared as amalgamated with or included in a Planning Area under this Section and such Rules, Regulations, bye-laws, orders, directions and powers shall forthwith apply to such Planning Area without further publication.

(7) When Planning Areas are amalgamated or sub-divided or such sub-divided areas are included in other Planning Areas, the Government shall, after consultation with the Board, frame a scheme determining what portion of the balance of the funds shall vest in the Planning Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority (ies)shall be apportioned amongst them and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities shall vest and be apportioned accordingly.

(8) On or after the date of such notification of declaration of the Planning Area as well as Peripheral Area, the Government may impose one or all of the following restrictions:

a) Government may impose specific conditions for any type of transaction or any use of land in any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.

117

51

b) The Government may impose a ban on the sale, transfer in any form or change of land use of a specific area or any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.

10. **Power to Withdraw Planning Area from operation of this Act. (Section 10 of the Act)** -(1) The Government may, by notification, withdraw from the operation of any of the provisions of this Act, the whole or a part of any Planning Area declared. Such an Area shall be distinctly defined in one of the forms mention in rule 9(3).

If any area of the Planning Area is withdrawn from the operation of any of the provisions of the Act, it shall be published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within the Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.

(2) When a notification is issued under this section in respect of any Planning area hereunder;

(a) The relevant provisions of this Act and all notifications, Rules and regulations, orders, directions and powers issued, made or conferred hereunder shall, cease to apply to the said area.

(b) The Government shall, after consulting the Board and the Local Authority (ies) concerned, frame a scheme determining the portion of the balance of the fund of the Planning Authority that shall vest in the Government and the Local Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority shall be apportioned between the Government and the Local Authority (ies) and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities of the Planning Authority shall vest and be apportioned accordingly.

11. **Constitution of Planning Authority. (Section 11 of the Act)** -(1) Any time after the declaration of a Planning Area under Section-9, the Government shall, by notification, constitute an authority for such area to be called the Planning Authority of that Planning Area and it shall be known by such name as the Government may determine.

(2) Every Planning Authority constituted under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, to contract, and by the said name sue and be sued.

(3) The planning authority shall consist of the following members namely:

(i) A Chairman of the rank of not less than Secretary to the Government or equivalent to be appointed by the State Government.

(ii) The Chief Town Planner of Town and Country Planning Organization or his representative, ex-officio.

(iii) All District Magistrates of the concerned district

(iv) All Municipal Commissioners/Executive officers of the Urban Local Bodies not exceeding four.

(v) Such officials of the State Government to be nominated by the State Government not exceeding five, ex-officio; who represent departments